सेवा में

श्रीमान प्राचार्य

चमन लाल महाविद्यालय

लंढौरा हरिद्वार उत्तराखंड

विषय - ऑटोनॉमस महाविद्यालय हेतु प्रवेश नियमों के संदर्भ में ।

महोदय

उक्त विषय के संदर्भ में निवेदन यह है कि आपके द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश के क्रम में प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश नियम सत्र 2024 - 2025 से आगामी वर्षों के लिए संस्तुत किए जाते हैं । नियम की प्रति संलग्न है आवश्यक कार्यवाही हेतु आपके समक्ष आदेशसार्थ प्रस्तुत ।

भवदीय

प्रभारी (प्रवेश समिति)

चमन लाल महाविद्यालय लंढौरा हरिद्वार

चमन लाल ऑटोनॉमस महाविद्यालय लंढौरा हरिद्वार

उत्तराखण्ड - 247664

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 पर आधारित

स्नातक (बी०ए०, बी०एससी०, बी०कॉम०) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम

एवं

स्नातकोत्तर (एम०ए०/एम०एस-सी०/एम०कॉम०) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम

सत्र * 2024 2025

बैठक एवं कार्यवृत

आज दिनांक 12 जुलाई 2004 को प्राचार्य महोदय से प्राप्त दिशानिर्देशो के क्रम में महाविद्यालय द्वारा गठित प्रवेश समिति 2024-25 की एक आवश्यक बैठक प्रवेश प्रभारी की अध्यक्षता में प्रवेश समिति के सदस्यों के साथ चमन लाल स्वायत्त महाविद्यालय से सम्बन्धित सत्र 2024-2025 प्रवेश नियमों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आहुत की गई ।

नवीन कुमार (प्रभारी)

डॉ. मीरा चौरसिया (सदस्य)

डॉ. किरन शर्मा (सदस्य)

डॉ. देवपाल (सदस्य)

डॉ. संजीव कुमार (सदस्य)

डॉ. विधि त्यागी (सदस्य)

डॉ. अनामिका चौहान (सदस्य)

डॉ. पुनीता शर्मा (सदस्य)

बैठक में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये -

1.बैठक में निर्णय लिया गया कि श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्देशों का पालन किया जाएगा एवं तदनुरूप प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी

2.श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय एंव उत्तराखण्ड राज्य द्वारा NEP 2020 में जों प्रवेश नियम हैं, उन्हें महाविद्यालय द्वारा आत्मसात किया जायेगा।

3. प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल पर होने वाले पंजीकरण एवं महाविद्यालय में होने वाले पंजीकरण दोनों के आधार पर की जाएगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय को महाविद्यालय द्वारा अवगत कराया जाएगा।

4. सभी उपाधियों में विषय संयोजन वैसा ही होगा, जैसा कि श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है ।

5.स्नातकोत्तर उपाधियों में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक आवेदकों के अध्ययन अंतराल (GAP) के संबंध में संबंधित अवधि का शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

6. सीटें की उपलब्धता के दृष्टिगत प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर काउंसलिंग करते हुए प्रवेश दिया जाएगा ।

7. उत्तराखण्ड राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी समस्त नियमों का पालन किया आएगा।

प्रवेश नियम

(चमन लाल ऑटोनॉमस महाविद्यालय लंढौरा)

(शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 से प्रभावी)

अध्याय-1 साधारण नियम

1.1 महाविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन/ऑफलाइन (On Line /off line)पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / प्रवेश समिति/ सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में महाविद्यालय / संस्थान के परिसर के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे ।

1.2 महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा | Online/offline प्रवेश की तिथि के निर्धारण / परिवर्तन / विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय महाविद्यालय का होगा ।

1. 3 परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश हेतु विभिन्न अभ्यर्थियों के Online/offline प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा काउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line /offline प्रवेश आवेदन पत्र / फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर पर प्रवेश समिति द्वारा सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो । Online /offline माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय
2. परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में अपने ऑनलाईन /ऑफलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार / आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।
3. अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शपथ पत्र प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय / संस्थान के परिसरो द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे। (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम / कक्षा में

प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद किसी छात्र को नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय - द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश महाविद्यालय परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा ।

4. ख) यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

5. (ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

6. (घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस / प्रशासन द्वारा निरुद्ध किए जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा एवं उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

7. युक्तिसंगत कारण होने पर विभाग अध्यक्ष / सक्षम अधिकारी / प्रवेश समिति की संस्तुति पर प्राचार्य के द्वारा प्रवेश अस्वीकार/निरस्त किया जा सकता है इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा ।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गकुल्लूया- हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु महविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप महावियालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तंगत "धोखाधड़ी से प्रवेश लेना " माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर / महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही कर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

प्रवेशरत, किसी भी विद्यार्थी ने यदि महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) महाविद्यालय संस्थान / संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है-

1-	अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2	- अनुसूचित जनजाति।	04 प्रतिशत
3	-अन्य पिछड़ा	14 प्रतिशत
4	- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग.	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो

नोट - स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा-

1)	महिलाएँ	30 प्रतिशत
(2)	भूतपूर्व सैनिक।	05 प्रतिशत
(3)	दिव्यांग।	05 प्रतिशत

(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02 प्रतिशत है

(जो महिला / व्यक्ति जिस वर्ग का होगी / होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता - क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त

प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा) ।
उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

1-Extension in date of admission upto 30 days

2-Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.

3-Waiving of domicile requirements.

1. 13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वंचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा-

(क) एन०सी०सी० 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी । 25 अंक

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर 20 अंक

ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगाभाई 20 अंक

(घ) जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्द्ध सैनिकों के पुत्र / पुत्री पति / पत्नी / सगा भाई / बहन तथा जम्मू-कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगा भाई / बहन 20 अंक

ङ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 50 अंक

च) अंतर विश्वविद्यालय / राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर खेल में पदक प्राप्त करने पर 40 अंक

छ) शासन द्वारा / खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर। 30 अंक

ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर। 25 अंक

झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर

25 अंक

अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता

25 अंक

जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता

20 अंक

प्रमाण-पत्र

नोट - उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1.14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय / संकाय / में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय / संकाय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन परिसर /महाविद्यालय द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा । प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा ।

1.15 महाविद्यालय / परिसर/ संस्थान में बिना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी० सी० सी०) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं / पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान / संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1.16 क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी । विशेष परिस्थितियों में प्राचार्य द्वारा 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा सकती है। प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु महाविद्यालय / परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.17 ख) अभ्यथी द्वारा महाविद्यालय / परिसर / संस्थान में प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से संबंधित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के संबंध में भी लागू होगा ।

1.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत महाविद्यालय में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र - छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण

महाविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार चमन लाल ऑटोनॉमस महाविद्यालय लंढौरा हरिद्वार के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा ।

प्राचार्य

चमन लाल ऑटोनॉमस महाविद्यालय लंढौरा हरिद्वार,

अर्हता निर्धारण के नियम

(चमन लाल ऑटोनॉमस महाविद्यालय लंढौरा हरिद्वार हेतु)

(शैक्षणिक सत्र 2024-2025 से प्रभावी)

अध्याय-2

अर्हता / योग्यता सूची निर्धारण के नियम 2.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की - कक्षा में प्रवेश सीटों की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (Senior Secondary) (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे। उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड / यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र / छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे ।

क (1) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हो (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

2 विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण । (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से हीं होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/ विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत) । इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) अनुसूचित जाति / जनजाति हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी ।

ख , यदि कोई छात्र स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर / प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर / प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर / महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम 2-1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर परिसर /

महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में परिसर / महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

शिक्षणेत्तर कार्य-कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान / पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों / संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य महोदय जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन-पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी ।

- स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा ।

The candidates for the Under-Graduate programes shall have to opt two compulsory paper/subject and choose one optional subject combination as per the group-scheme provided below:

महाविद्यालयों हेतु निम्न तालिका के अनुसार विषयों का चयन किया जा सकता है

कला संकाय (Bachelor of Arts (B.A.) हेतु

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक-पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरें मुख्य विषय - III (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग-अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं।

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F
अंग्रेजी साहित्य	ड्राइंग एवं पेंटिंग	भूगोल	शिक्षा शास्त्र	हिन्दी साहित्य	राजनीति विज्ञान
संस्कृत साहित्य	अर्थशास्त्र	इतिहास	समाजशास्त्र		
	गृह विज्ञान	संगीत			
	मनोविज्ञान				

विज्ञान संकाय (Bachelor of Science (B.Sc.) हेतु

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक-पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरें मुख्य विषय - III (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग-अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं।

गणित समूह (Mathematics Group)

Group A	Group B	Group C
गणित	भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान
		सांख्यिकी
		कम्प्यूटर साइंस
		भूगर्भ विज्ञान

जीव विज्ञान समूह - Bio Group

Group A	Group B	Group C
वनस्पति विज्ञान	जन्तु विज्ञान	रसायन विज्ञान
		भूगर्भ विज्ञान
		माइक्रोबायोलॉजी

गृह विज्ञान संकाय (Bachelor of Home Science) हेतु

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक-पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरें मुख्य विषय - III (Major Elective Subject-II) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग-अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं।

गृह विज्ञान समूह (Home Science Group)

Group A	Group B	Group C
1 खाद्य एवं पोषण	1 परिधान एवं वस्त्र विज्ञान	प्रसार शिक्षा
2 मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन	2 पारिवारिक संसाधन प्रबंध	

वाणिज्य संकाय (Bachelor of Commerce (B.Com) हेतु

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक-पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरें मुख्य विषय - III (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग-अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं।

Group A

फाइनेंशियल एकाउंटिंग प्रबंधन

Major core own faculty

Group B

व्यावसायिक नियामक ढांचा

Major Core Own faculty

Group C

1 व्यावसायिक संगठन एवं

2 व्यावसायिक संचार

Major Elective

Own faculty/Other faculty

वैधानिक नियंत्रण -

महाविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार चमन लाल ऑटोनॉमस महाविद्यालय लंढौरा हरिद्वार के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा ।

प्राचार्य

चमन लाल ऑटोनॉमस महाविद्यालय लंढौरा हरिद्वार

चमन लाल ऑटोनॉमस महाविद्यालय लंढौरा हरिद्वार

स्नातकोत्तर (एम०ए० / एम०एस-सी० / एम०कॉम०) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु

सत्र 2024-2025

1. श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय /चमन लाल ऑटोनॉमस महाविद्यालय लंढौरा के नामांकित छात्र / छात्रा के रूप में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय /चमन लाल ऑटोनॉमस महाविद्यालय लंढौरा में अध्ययनरत्, होने के बाद एक विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी दशा में अन्य विषय में स्नातकोत्तर (एम०ए० / एम० एस-सी० / एम० कॉम०) कक्षा में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा ।

2. विश्वविद्यालय /महाविद्यालय से बाहर के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लिये जाने की तिथि से 01 माह के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) /स्थानांतरण प्रमाण पत्र (transfer certificate)परिसर / महाविद्यालय में जमा कर महाविद्यालय में अपना नामांकन करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी के प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

3. स्नातकोत्तर (एम0ए0 / एम०एस-सी० / एम०कॉम०) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारण एवं योग्यता सूची निर्धारण के नियम

4. 2.1 अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी ।

5. यदि कोई छात्र महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कला / वाणिज्य एवं विज्ञान की प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में अनुर्तीण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान अथवा वाणिज्य से कला संकाय में प्रवेश लेना चाहता है एवं साथ ही स्नातकोत्तर (कला संकाय) का कोई छात्र प्रथम सेमेस्टर में अनुर्तीण हो गया है अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना विषय परिवर्तित कर कला संकाय के अन्तर्गत परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर / महाविद्यालय में विधिवत प्रवेश लेने हेतु आवेदन करना होगा ।

6. महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री / पति / पत्नी / सगा भाई / बहन से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व

विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो

7. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन-पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

8. स्नातकोत्तर कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जायेगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

9. प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता में 10 प्रतिशत अधिक अंक होने पर (जैसे निर्धारित अर्हता उपाधि बी॰ए॰ या बी॰ काम॰ में 10 प्रतिशत अधिक अंक यानि न्यूनतम 40 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत या बी॰एस-सी0 में न्यूनतम 45 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत अंक होने पर) ही प्रवेश अर्ह किया जाएगा। एतदद्वारा निर्धारित अर्हता से कम अंक होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10. विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक (विज्ञान संकाय) की परीक्षा न्यूनतम 45 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु केवल स्नातक स्तर में पढ़े हुए विषयों में ही अर्ह माने जायेंगे ।

11. (क) स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण हेतु नियम (जहाँ लागू हो)

12. (ख) अधिमान के रूप में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु कुल योग्यतांक I = (X+2Y) के 5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 150 अंक अतिरिक्त प्रदान किये जायेंगे ।

13. Calculation of Index for P.G.-I Semester Admission. (Where ever Applicable) 1 = X+2Y (Merit Index)

14. X= Marks obtained in all subjects at U.G. level

15. Y= Total marks obtained at U.G.level in the subject in which admission is requested at P.G. Semester class.

16. (Admission would be given to P.G. Semester-I, only in one of the subjects taken at the U.G. level)

17. कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु

18. निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा-

कोई भी स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी (स्नातक की उपाधि यू॰जी॰सी॰ द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा स्नातक (कला/वाणिज्य/विज्ञान) की उपाधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए) जिसने स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माना जायेगा। कला संकाय के स्नातकोत्तर स्तर में प्रयोगात्मक परीक्षा वाले विषयों (भूगोल, चित्रकला, गृहविज्ञान,) में केवल वे ही अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह होंगे जिनका स्नातक स्तर पर वह विषय रहा हो (उदाहरण भूगोल विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु केवल वे ही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिनका स्नातक स्तर पर भूगोल विषय रहा हो ।

19. वाणिज्य संकाय के अंतर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा-

20. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक (वाणिज्य संकाय) की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (वाणिज्य संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माने जायेंगे

वैधानिक नियन्त्रण

महाविद्‌यालय द्‌वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार चमन लाल ऑटोनॉमस महाविद्‌यालय लंढौरा हरिद्‌वार के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा ।

प्राचार्य